

In,

The court of Sub-Judge-1st , Patna City

T.S.-258/2019

बाद में 06/04/2022	वादी के विद्वान अधिवक्ता अपने दाखिल आवेदन पत्र U/O-22 Rule-4 C.P.C. को संचालित कर निवेदन करते हैं कि इस वाद के प्रतिवादी संख्या—1 की मृत्यु हो गई है। अतः वाद पत्र से प्रतिवादी संख्या—1 का नाम विलोपित कर उनके कानूनी वारिशानों का नाम वाद पत्र के प्रतिवादी संख्या—1 के क्रम में जोड़ने का आदेश दिया जाए। वादी के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद में दोनों प्रतिवादी की मृत्यु हो गयी है। वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है तथा दाखिल आवेदन पत्र शपथ—युक्त है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन पत्र U/o-22 Rule-4 C.P.C न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय लिपिक वाद पत्र से प्रतिवादी—1 का नाम विलोपित कर उनके कानूनी वारिशानों का नाम वाद पत्र के प्रतिवादी संख्या—1 के क्रम में जोड़े। वादी इन प्रतिस्थापि प्रतिवादियों के उपस्थिति हेतु सम्मन का जरूरीयात दाखिल कर तत्पश्चात् कार्यालय दोनों प्रोसेस से सम्मन निर्गत करे। वाद दिनांक ०५-३-२२ वास्ते प्रस्तुत करें। अवर न्यायाधीश, प्रथम पटना सिटी
-------------------------------	--